Witness No .....03.....For....**अभियोजन साक्षी**..... Deposition taken.....
the ..07/04/2026... Witness's Apparent age....27Y..States on affirmation on oath my name is.....**राजकुमार**..... ....
S/D/W of .....**श्री देवसाय** .....Occupation .....**मजदूरी**.....
Address– .....**ग्राम–हरिगवां थाना–रघुनाथनगर जिला बलरामपुर रा०गंज (छ०ग०)**.....

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विमलेश कुमार सिंह, विद्वान विशेष लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1. मैं आरोपी दयाशंकर व गिरजाशंकर को जानता हूं तथा अन्य आरोपीगण को नहीं जानता हूं। घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं।

2. पुलिस ने मेरे सामने आरोपी दयाशंकर कुशवाहा, ईस्लाम खान एवं मो० मुख्तार का कथन नहीं लिया था किन्तु मेमोरण्डम कथन क्रमशः **प्रदर्श पी–03, प्रदर्श पी–04, प्रदर्श पी–05** के ब से ब भाग पर साक्षी अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

3. पुलिस ने मेरे सामने आरोपीगणों से कोई जप्ती नहीं किया था किन्तु जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–06, प्रदर्श पी–07, प्रदर्श पी–08** के ब से ब भाग पर साक्षी अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। पुलिस मेरे सामने किसी भी आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी–09, प्रदर्श पी–10 और प्रदर्श पी–11** के ब से ब भाग पर साक्षी अपना हस्ताक्षर स्वीकार करता है।

4. पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर कोई कथन लेखबद्ध नहीं किया था।

नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण की अनुमति चाहा गया है। विचारोपरांत साक्षी के पुलिस कथन के अवलोकानुसार अनुमति प्रदान की गई।

5. यह कहना गलत है कि दयाशंकर कुशवाहा मुझे और अरिवंद ठाकुर को गांव के अन्य लोगों को बिजली का काम करने के लिए रोज बुलाता था तब हम लोग दयाशंकर के साथ काम

करने जाते थे।

6. यह कहना गलत है कि दिनांक 25.10.2022 को गांव का ही अरविंद ठाकुर मुझे बताया कि दयाशंकर कुशवाहा रात में ट्रासफार्मर का काम करने के लिए बुलाया है तब मैं अरविन्द ठाकुर को बोला कि आपको जाना है तो जाव मैं नहीं जाउंगा इसके बाद अरविंद भी नहीं गया उसके बाद हम दोनो उस दिन काम पर नही गये।

7. यह कहना गलत है कि मैं पुलिस को बयान देते समय यह बताया था कि दयाशंकर ग्राम सरना में चोरी के ट्रांसफर्मर को लोड करने के लिए बुला रहा था।

8. यह कहना गलत है कि आरोपीगण का मेमोरण्डम कथन मेरे समक्ष लेखबद्ध किया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी दयाशंकर कुशवाहा के द्वारा पुलिस को मेमोरण्डम कथन करते हुए अ से अ भाग में यह बताया गया था कि ''दिनांक 25.10.2022 की रात्रि----------बरामद करा देता हूं।

9. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी इस्लाम खान के द्वारा पुलिस को मेमोरण्डम कथन करते हुए अ से अ भाग में यह बताया गया था कि ''दिनांक 25.10.2022 की रात्रि----------बरामद करा देता हूं।

10. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी मो० मुख्तार के द्वारा पुलिस को मेमोरण्डम कथन करते हुए अ से अ भाग में यह बताया गया था कि ''दिनांक 25.10.2022 की रात्रि----------बरामद करा देता हूं।

11. मेमोरण्डम कथन क्रमशः **प्रदर्श पी–03, प्रदर्श पी–04, प्रदर्श पी–05** के ब से ब भाग पर साक्षी अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

12. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी दयाशंकर कुशवाहा से ओप्पो मोबाईल

स्मार्टफोन एक नग, एक काला रंग का पल्शर मोटर सायकल एवं बचा हुआ कॉपर वायर किमत लगभग नौ हजार रूपये का जप्त किया था। यह कहना गलत है कि मो० इस्लाम से घटना में उपयोग किया हुआ छोटा हाथी गाड़ी एवं इंफिनिक्स स्मार्ट मोबाईल एक नग प्रदर्श पी–07 के अनुसार जप्त किया था।

13. यह कहना गलत है कि मो० मुख्तार से एक जुट बोरी में दो नग ट्रांसफर्मर से निकला हुआ कॉपर वजन लगभग 83.280 KG किमत करीब चालीस हजार रूपये प्रदर्श पी–08 के अनुसार जप्त किया था। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष पुलिस ने आरोपी दयाशंकर कुशवाहा, इस्लाम खान एवं मो० मुख्तार को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–09, प्रदर्श पी–10 और प्रदर्श पी–11 के अनुसारी गिरफ्तार किया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री ई.एम. अंसारी, वास्ते अभियुक्त मो० मुख्तार एवं इस्लाम खान</u>

14. यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझसे कई शादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, किस लिए हस्ताक्षर करवाये मुझे नहीं बताये थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री तारीक अब्दुल्ला, वास्ते अभियुक्त दयाशंकर एवं गिरजाशंकर</u>

15. कुछ नहीं।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया,

सही होना स्वीकार किया।

HEMANT KUMAR SARAF
Digitally signed by HEMANT KUMAR SARAF
Date: 2026.04.07 17:35:06 +0530

(हेमंत सराफ)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनयम)
बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित

HEMANT KUMAR SARAF
Digitally signed by HEMANT KUMAR SARAF
Date: 2026.04.07 17:35:11 +0530

(हेमंत सराफ)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनयम)
बलरामपुर, स्थान–रामानुजगंज (छ.ग.)